पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 123/2019

अनवान :

1. झण्डुराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
3. हरिसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
4. रेशमा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
5. भगवन्ती पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
6. कृष्णा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
7. लिलावती पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पचारवाली तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 79/77 के खसरा सं. 46/1 की 0.999 हैक्टर, खसरा सं. 136/2 की 0.265 हैक्टर, खसरा सं. 194 की 1.391 हैक्टर, खसरा सं. 265/1 की 2.086 हैक्टर कुल किता 4 की 4.741 हैक्टर बारानी खातेदारी बारानी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मोजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता संख्या 614/575 के खसरा सं. 431/4 की 2.023 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामलाल के बजाय वादी झण्डुराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 3 हरिसिंह तीनों को 7/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 1 रामलाल को 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन हों तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 123/2019

अनवान :

1. झण्डुराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
3. हरिसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
4. रेशमा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
5. भगवन्ती पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
6. कृष्णा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
7. लिलावती पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री विक्रम शर्मा :प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :** 26.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा पचारवाली तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 79/77 के खसरा सं. 46/1 की 0.999 हैक्टर, खसरा सं. 136/2 की 0.265 हैक्टर, खसरा सं. 194 की 1.391 हैक्टर, खसरा सं. 265/1 की 2.086 हैक्टर कुल किता 4 की 4.741 हैक्टर बारानी खातेदारी बारानी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मोजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता संख्या 614/575 के खसरा सं. 431/4 की 2.023 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही विनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 हिन्दु है व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा रामजस की हुआ करती थी। इस प्रकार वादभूमि वादी का दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि की सम्वत 2019 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न दावा है जिससे वादभूमि पैत्रक एवं दादालाई होना साबित है।

वादभूमि के अलावा वादी एवं प्रतिवादी की गांव पचारवाली में रिहायशी मकान नोहरा एवं अन्य चल सम्पति स्थित है। वादभूमि एवं अन्य सम्पति की बावत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 व 4 ता 7 ने वादभूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के पक्ष में

26/8/19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned by CamScanner

बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था तथा प्रतिवादी रामलाल के हिस्सा में अन्य चल सम्पति, नकदी एवं जेवरात आदि आ गये। पारिवारिक सैटलमेन्ट के बाद उक्त खातेदारी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के कब्जा काश्त में बहिस्सा बराबर के अनुसार चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी वादभूमि प्रतिवादी रामलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी झण्डुराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डोबी प्रदर्श 1, जमाबंदी अजीतपुरा खाता संख्या 614/575 प्रदर्श 2, जमाबंदी पचारवाली खाता संख्या 79/77 प्रदर्श 3, जमाबंदी भू–प्रबधं विभाग रोही अजीतपुरा व पचारवाली प्रदर्श 4 व 5, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा पचारवाली तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 79/77 के खसरा सं. 46/1 की 0.999 हैक्टर, खसरा सं. 136/2 की 0.265 हैक्टर, खसरा सं. 194 की 1. 391 हैक्टर, खसरा सं. 265/1 की 2.086 हैक्टर कुल किता 4 की 4.741 हैक्टर बारानी खातेदारी बारानी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मोजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता संख्या 614/575 के खसरा सं. 431/4 की 2.023 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी अजीतपुरा खाता संख्या 614/575 प्रदर्श 2, जमाबंदी पचारवाली खाता संख्या 79/77 प्रदर्श 3, जमाबंदी भू–प्रबधं विभाग रोही अजीतपुरा व पचारवाली प्रदर्श 4 व 5, प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने भी राजीनामा के अनुसार वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पचारवाली तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 79/77 के खसरा सं. 46/1 की 0.999 हैक्टर, खसरा सं. 136/2 की 0.265 हैक्टर, खसरा सं. 194 की 1.391 हैक्टर, खसरा सं. 265/1 की 2.086 हैक्टर कुल किता 4 की 4.741 हैक्टर बारानी खातेदारी बारानी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मोजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता संख्या 614/575

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned by CamScanner

के खसरा सं. 431/4 की 2.023 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामलाल के बजाय वादी झण्डुराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 3 हरिसिंह को 7/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 1 रामलाल को 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned by CamScanner